आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 43/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

27.07.2021

भूदाता विरोधर तिवारी, पिता–सूर्यनाथ तिवारी, ग्राम–अमरा, थाना–अरवल, अंचल–अरवल, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
23	–	01 कठा	उत्तर–राम प्यारे तिवारी दक्षिण–ब्रह्मदेव तिवारी पूरब– बलहरि तिवारी पश्चिम–नीज

मौजा–अमरा, थाना नं०–96, थाना–अरवल, अंचल–अरवल, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। अंचल अधिकारी अरवल के द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। भूदाता के पोता ओम नाथ तिवारी, पिता–स्व0 हरेश्वर तिवारी न्यायालय में उपस्थित हुए उन्होने बताया कि मुझे मालूम नहीं है कि भूदाता द्वारा दान–पत्र के माध्यम से भूमि दान में दिया गया है। उनके द्वारा समय की मॉग की गई लेकिन उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई आपति दर्ज नही किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर एवं गवाह मधुसुदन प्रसाद सिंह का हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा प्रस्तावित भूमि दिनांक 10.04.1954 ई0 में प्रस्तावित भूमि दान पत्र के माध्यम से दान में दिया गया है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतीयान उपलब्ध नहीं है। दान पत्र में खेसरा संख्या नहीं रहने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान दान वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि भूमि वितरण जॉच आयोग वैसे दान पत्र जिसमें खाता सख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है लेकिन खेसरा संख्या अंकित नही है, वैसे दान पत्रों को संपुष्टि की जायेगी क्योंकि संपुष्टि के उपरान्त चिन्हीत की जा सकती है।

चूँकि न्यायालय द्वारा खास एवं आम सूचना निर्गत किया गया। भूदाता के पोता न्यायालय में उपस्थित हुए लेकिन इनके द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई आपति नही दी गई है। अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री जिला भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

27.07.2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

27.07.2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।